न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)राज0
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 110/2019

1– मोहन राम पुत्र नोलाराम, जाति कुम्हार, निवासी आकोदा, तहसील डीडवाना जिला नागौर

.....अपीलान्ट

बनाम

1–भंवरी पुत्री जवानाराम,

2–सजनी पुत्री जवानाराम

3–नाराणी पुत्री जवानाराम, समस्त जाति मेघवाल, निवासी आकोदा तहसील डीडवाना, जिला नागौर

4–तहसीलदार डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

5–उप तहसीलदार मौलासर, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री हीरसिंह बलारा व रणजीत बलारा अधिवक्तागण अपीलान्ट की ओर से।

2–श्री मोहम्मद रफीक अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 की ओर से।

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 21.02.2004 ग्राम आकोदा तहसीलदार डीडवाना हस्ब धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक:.02.03.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार डीडवाना के नामान्तरकरण संख्या 377 दिनांक 21.02.2004 ग्राम आकोदा तहसीलदार डीडवाना के विरूद्ध पेश की है। अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया, जिसके फलस्वरूप अपील न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को समन जारी किए गए ।

{2} अपील के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि खेत खसरा संख्या 80 रकबा 38.08 बीघा वाके आकोदा की खातेदारी जवानाराम, दुलाराम पिसरान घासीराम, जाति मेघवाल, निवासी आकोदा के नाम से रही है तथा जवानाराम की मृत्यु आज से करीब 16–17 वर्ष पूर्व होने पर व उसके कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने के कारण उनकी तीन पुत्रियों भंवरी, सजनी व नारायणी के नाम से नामान्तकरण भरा जाकर इन तीनों के नाम से दिनांक 21.02.2004 को तहसीलदार डीडवाना द्वारा उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया। दुलाराम की मृत्यु होने से उसके पुत्र प्रभुराम के नाम से नामान्तरकरण भरा गया, वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार भंवरी, सजनी व नारायणी पुत्री जवानाराम हैं। उक्त खेत के तत्कालीन खातेदार जवानाराम ने अपने खेत खसरा संख्या 80 रकबा 30.08 बीघा वाके आकोदा में से 1619 वर्ग मीटर अर्थात एक बीघा भूमि का संपरिवर्तन आवासीय प्रयोजनार्थ तहसीलदार डीडवाना द्वारा दिनांक 10.08.1999 को आबादी में कर दी गयी। तहसीलदार द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10.081999 में इसका उल्लेख है तथा इस संपरिवर्तन आदेश के बाद इस संपरिवर्तीत आवासीय प्रयोजनार्थ एक बीघा भूमि का विक्रय जवानाराम पुत्र घासीराम, जाति मेघवाल, निवासी आकोदा ने अपीलान्ट मोहनराम को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1999 को कर दिया तथा मौके पर अपीलान्ट को कब्जा संभला दिया तथा अपीलान्ट ने अपनी क्रय सुदा के तीन तरफ पक्की दिवार बना ली है तथा इस क्रय सुदा व कब्जा सुदा आबादी भूमि में एक पानी का पक्का होज व एक मकान बना लिया है, तथा पानी का कनेक्शन लिया हुआ है तथा इस भूखण्ड के निकास द्वार पर एक लोहे का गेट चढा रखा है तथा पिछले करीब 20 वर्षो से अपीलान्ट अबाध रूप से काबिज है तथा इसका उपयोग व उपभोग करता आ रहा हैं तथा इस विक्रय पत्र की फोटो कॉपी उसी समय तत्कालीन पटवारी हल्का को नामान्तरकरण बाबत दे दी थी। लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विक्रय पत्र को नजर अन्दाज करते हुये सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी बाबत नामान्तरकरण जवानाराम की जगह उसकी तीनो पुत्रियों के नाम से भर कर दिनांक 21.02.2004 को तहसीलदार डीडवाना द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

स्वीकृत करवा लिया गया । जबकि एक बीघा भूमि का दिनांक 18.08.1999 को विक्रय पत्र पहले ही हो जाने के बाद भी एक बीघा आवासीय भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम से नहीं भरा गया। जिसकी जानकारी हाल ही में बैंक से ऋण लेने के लिये पटवारी हल्का से फाइल बनवाये जाने पर अपीलान्ट के नाम से नामान्तरकरण नहीं होने से व दिनांक 05.09.2019 को नामान्तरकरण पंजिका की नकल लेने से इस गलत नामान्तरकरण की जानकारी हुयी, इस ओर ध्यान दिये बिना ही तहसीलदार डीडवाना ने बांला बाला ही अपीलान्ट के नाम से एक बीघा भूमि का नामान्तरकरण न भरकर सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्टस के नाम से स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर इसे निरस्त करवाने के लिए यह अपील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

अपीलार्थी के द्वारा उक्त नामान्तरकरण के स्वीकृत होने की जानकारी उसे दिनांक 05.09.2019 को अपीलाधीन नामान्तरकरण पंजिका की नकल लेने से हुई होना जाहिर करते हुए अपील निर्धारित समयावधि में प्रस्तु करने तथा इसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नहीं रहे इस सम्बन्ध में धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ–पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दिनांक 03.12.2019 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए समन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का वादग्रस्त नामान्तरणकरण संख्या 377 दिनांक 21.04.2004 की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर शामिल मिसल की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मो0रफीक ने अपना वकालतनामा मय जवाब पेश किया । रेस्पोडेन्टस ने अपना जवाब लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में पेश नहीं कर अपील के सन्दर्भ में ही पेश किया गया जिसमें उन्होनें यह स्वीकार किया है कि अपील के अपीलान्ट द्वारा वर्णित बाते सही व सत्य हैं, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है।

{3} – प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने से पूर्व उसके मियाद में होने के सम्बन्ध में विवेचन एवं अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की स्वीकृति की जानकारी उसे पूर्व में नहीं थी। इसकी जानकारी उसको नामान्तरकरण की नकल दिनांक 5.09.2019 को लेने से हुई। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मियाद एक माह होती हैं तथा अपील अन्दर मियाद है। इसके बावजूद भी अपील करने से देरी हुई तो माफ कर अपील को मियाद में होना शुमार कराने बाबत निवेदन किया हैं इस सम्बन्ध में रस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिनमिटेशन एक्ट का कोई जवाब पेश नहीं कर साधारण रूप से अपीलार्थी के पक्ष में अपील के कथनानुसार अपील स्वीकार करने बाबत अपना जवाब प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

{4}– पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया एवं बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन किया गया ।

{5} –अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 निमिटेशन एक्ट के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि उसे वादग्रस्त नामान्तरकरण सं0 377 दिनांक 21.4.2004 ग्राम आकोदा तहसील डीडवाना का ज्ञान दिनांक 5.9.2019 को इस नामान्तरकरण की नकल लेने से हुआ। नकल लेने की दिनांक से एक माह की मियाद अपील पेश करने हेतु है लेकिन फिर भी विलम्ब हुआ है तो इस बाबत लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर दिया है। अतः विलम्ब को माफ करते हुए अपील को मियाद में शुमार किया जावे ताकी अपीलान्ट द्वारा श्री जवानाराम से आवासीय रूपान्तरित खरीदशुदा भूमि ख0नं0 80 ग्राम आकोदा तहसील डीडवाना से एक बीघा भूमि का नामान्तरकरण वादग्रस्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए अपीलान्ट के नाम से किया जाने का आदेश फरमावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया की अपील अपीलान्ट अनुसार 1 बीधा आवासीय रूपान्तरित भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम भर दिया जाए तो उन्हे कोई आपति नहीं हैं।

प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 में अंकन किया है कि उक्त गलत म्यूटेशन की जानकारी अपीलान्ट को तहसीलदार डीडवाना ने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी। वह इस भरोसे में रहा कि उसके द्वारा कय सुदा व कब्जा सुदा एक बीधा भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रेकर्ड में हो गया होगा क्योंकि अपीलार्थी ने विक्रय पत्र की नकल तत्कालीन पटवारी को नामान्तरकरण हेतु जमा करवा दी थी। लेकिन इसके बावजूद हल्का पटवारी व आर. आई. ने बिना किसी प्रकार की मौके की व अन्य जांच के बिना ही तहसीलदार डीडवाना से नामान्तरकरण स्वीकार करवा लिया । इसका ईल्म अपीलान्ट को नामान्तरकरण की नकल 5.9.2019 को लेने से हुआ है। नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने के दिन से अपील करने की मयाद एक माह होती है तथा अपील अन्दर मयाद है। इसके बावजूद भी अपील करने में देरी हुयी हो तो देरी को माफ कर अपील को मयाद में होना शुमार करावे।

अपीलान्ट मोहनराम ने जवानाराम द्वारा ख0नं0 80 में से आवासीय रूपान्तरित भूमि 1 बीधा (1619 वर्ग मीटर) जरिए विक्रय पत्र जो दिनांक 18.8.1999 को पंजीबद्ध हुआ है से खरीद की है। इस प्रकार श्री जवानाराम द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 80 में से 1 बीघा भूमि आवासीय रूपान्तरित करायी गयी थी उसका नामान्तरकरण नहीं खोला गया है तथा उसका विक्रय होने पर भी नामान्तरकरण नही खोला गया है । इस प्रकार अपील दर्ज होने की दिनांक : 3.12.2019 से पूर्व करीबन 19 वर्ष से अधिक समय के दौरान अपीलार्थी ने नामान्तरण खुलवाने हेतु क्या क्या प्रयास किए गए, क्यों कर नामान्तरकरण नहीं खोला गया, इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा हस्तगत नामानतरकरण की नकल प्राप्त करने की दिनांक 5.9.2019 अंकित की है, उससें भी एक माह में अपील प्रस्तुत नहीं करके 3.12.2019 को अपील प्रस्तुत की है तथा इस देरी हेतु काई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

प्रार्थना पत्र में देरी को शमन करने हेतु पर्याप्त कारण नहीं बताए गए है कि देरी किस कारण से हुई है। अपील पेश करने में 19 वर्ष से अधिक की देरी का कोई स्पष्टीकरण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है जिससे देरी को माफ किया जा सके। विलम्ब की अवधि को तब तक माफ नहीं किया जा सकता है जब तक कि इस सम्बन्ध में दिए गए कारण सच्चे, विश्वनीय और संतोषजनक हो। अतः पेश अपील अन्दर मियाद शुमार की जानी न्यायोचित नहीं है।

:::: <u>आदेश</u> ::::

उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलार्थी मियाद बाहर होने से खारीज की जाती है।

(रिछपाल सिंह बूरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बूरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)